

ए0ई0एस0 / जे0ई0रोग नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यक्रम के विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

1. जे0ई0 सेन्टीनल प्रयोगशाला (Strengthening of Sentinel Sites) हेतु जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय) एफ0एम0आर0 कोड संख्या—F.1.3.a—(10.3.1.4)
जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, बहुराईच, बलरामपुर एवं सीतापुर की जे0ई0 सेन्टीनल प्रयोगशाला में संविदा पर तैनात डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के जिन दरों पर मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है तथा 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानदेय में सम्मिलित की जा चुकी है।
2. NEW FMR Cod (10.3.1.4) जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, बलिया, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर को रू0-1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष जे0ई0 सेन्टीनल प्रयोगशाला के सुदृढीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. NEW FMR Cod (8.1.13.4) वित्तीय वर्ष 2018-19 में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 19 पदों के लिये स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नियुक्ति के उपरान्त दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे (सूची संलग्न)।
4. प्रशिक्षण (Capacity building) NEW FMR Cod F.1.3.B (9.5.12.3)
इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा। जनपद लखनऊ को रू0-30.00 लाख का आवंटन प्रशिक्षण के लिये स्वीकृत किया जा रहा है, इस रू0-30.00 लाख में से रू0-25.00 लाख बालरोग विभाग को व रू0-5.00 लाख माइक्रोबायोलॉजी विभाग हेतु स्वीकृत किया जा रहा है। बालरोग विभाग द्वारा स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण 10 बैचों में किया जायेगा तथा प्रति बैच 16 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 05 दिवसीय रहेगा।
बालरोग विभाग द्वारा बालरोग विशेषज्ञों का 03 बैच का प्रशिक्षण किया जायेगा, जिसमें 12 प्रतिभागियों द्वारा 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा तथा माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट तथा प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जायेगा तथा प्रति बैच 15 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। व्यय से सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1- Cost of Training Mos (One batch cost)				
S.No.	Activities	Rate in Rs.	No. of Participants	Days
a	Perdiem to Participants	400	12	6
b	Honorarium to Resource Person	1000	4	6
c	Mess, Fooding for Participants	350	12	6
d	Mess, Fooding for Trainers	250	4	6
e	Training Material	100	12	1
f	Contingency & POL for Generator	250	12	1
g	Institutional overheads (15%)			
h	Reimbursement of Stay to participants	1000	12	6
i	TA to Participants (Actual as per govt. rule)	1200	12	6

2- Cost of Training of Staff Nurse (One batch cost)				
S.No.	Activities	Rate in Rs.	No. of Participants	Days
a	Perdiem to Participants	400	16	5
b	Honorarium to Resource Person	1000	4	5
c	Mess, Fooding for Participants	350	16	5
d	Mess, Fooding for Trainers	250	4	5
e	Training Material	100	16	1
f	Contingency & POL for Generator	250	16	5
g	Institutional overheads (15%)			
h	Reimbursement of Stay to participants	1000	16	5

Arrested

W2

W

3- Cost of Training of Microbiologist (One batch cost)				
S.No.	Activities	Rate in Rs.	No. of Participants	Days
a	Per diem to Participants	400	15	3
b	Honorarium to Resource Person	1000	4	3
c	Mess, Fooding for Participants	350	15	3
d	Mess, Fooding for Trainers	250	4	3
e	Training Material	100	15	1
f	Contingency & POL for Generator	250	15	1
g	Institutional overheads (15% a to f)			
h	Reimbursement of Stay to participants	1000	15	3
i	TA to Participants (Actual as per govt. rule)	1200	15	3

5. जे0ई0 रोकथाम एवं पर्यवेक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण (FMR Code F.1.3.C) (9.5.12.4) इस मद में वर्ष 2018-19 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृति धनराशि का उपयोग, पी0आई0सी0यू0/मिनी पी0आई0सी0यू0/ई0टी0सी0 में तैनात स्टाफ नर्स के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण के लिये उपयोग किया जायेगा। यह प्रशिक्षण सी0एम0सी0 द्वारा टी0ओ0टी0 प्राप्त प्रशिक्षकों के द्वारा सम्बन्धित जनपद के पी0आई0सी0यू0 में ही कराया जायेगा तथा प्रशिक्षण आर0सी0एच0 की दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति बैच 20 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

जनपद	बैचों की संख्या
गोरखपुर	06
महराजगंज	03
देवरिया	04
कुशीनगर	04
बस्ती	05
सिद्धार्थनगर	04
सन्तकबीरनगर	03

व्यय से सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

Cost of one batch Training of Staff Nurse (PICU)

S.No.	Activities	Rate in Rs.	No. of Participants	Days
a	Per diem to Participants	400	20	5
b	Honorarium to Resource Person	600	4	5
c	Mess, Fooding for Participants	350	20	5
d	Mess, Fooding for Trainers	250	4	5
e	Training Material	100	20	1
f	Contingency & POL for Generator	250	20	5
g	Institutional overheads (15% of a to f)			
h	Reimbursement of Stay to participants	1000	20	5
i	TA to Participants (Actual as per govt. rule)	1200	20	5

6. मॉनीटरिंग एण्ड सुपरविज़न (एफ0एम0आर0 कोड संख्या-F.1.3.d):-

- NEW FMR Cod (16.8.2.2) जनपदों पर संविदा पर वर्तमान में कार्यरत कुल 09 डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेंट, ए0ई0एस0/जे0ई0 (जनपद-कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, गोण्डा, श्रावस्ती, रायबरेली, सीतापुर एवं सहारनपुर) एवं 12 टेक्निकल असिस्टेंट (जनपद-कुशीनगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, बलिया, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात एवं सहारनपुर) का मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत उसी दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है तथा 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानदेय में सम्मिलित की जा चुकी है।

NEW FMR Cod (16.1) (Mobility: Travel Cost, POL, Mobility cost on need basis):- इस मद में जनपद स्तर पर मोबिलिटी, ट्रेवल कॉस्ट, आउटब्रेक की स्थिति में भ्रमण हेतु, धनराशि का आवंटन किया गया है। इस वाहन का प्रयोग जनपद स्तर पर तैनात ए0ई0एस0/जे0ई0 कन्सल्टेंट अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वी0बी0डी0 के द्वारा जे0ई0/ए0ई0एस0 कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यों

Akhil

Handwritten signatures and initials.

उपयोग किया जायेगा। आवंटित धनराशि से प्रत्येक जनपद को उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिकतम रु0 30,000 प्रतिमाह की दर 6 माह से डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भांति/जनपद स्तर पर टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा अनबन्धित किया जा सकता है अथवा उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 के लिए किया जा सकता है। इस मद में लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, तथा गोण्डा मण्डल पर मोबिलिटी सपोर्ट के लिए 06 माह की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। जिसका प्रयोग मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों/डिवीजनल एण्टोमोलॉजिस्ट यूनिट के द्वारा जे0ई0/ए0ई0एस0 कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यों हेतु उपयोग किया जायेगा।

7. **ICU Establishing in endemic district(एफ0एम0आर0 कोड संख्या—f.1.3.j):—**
8. **NEW FMR Cod (8.1.2.2)** वर्ष 2018-19 की आर0ओ0पी0 में 67 बालरोग विशेषज्ञों की स्वीकृत प्राप्त हुई है। जिसमें से 21 बालरोग विशेषज्ञों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विड मॉडल पर की गयी है। नियुक्त बालरोग विशेषज्ञों का मानदेय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा-निर्देश पत्रांक सं0 02-A/ए0ई0एस0/जे0ई0/एन0पी0/2018-19/5845-15, दिनांक 28.08.2018 के अनुसार देय होगा तथा शेष रिक्त पदों के लिए दिशा-निर्देश नियुक्ति के बाद पृथक से जारी किये जायेंगे।
 - **NEW FMR Cod (8.1.5)** वर्ष 2018-19 की आर0ओ0पी0 में 30 मेडिकल आफिसर की स्वीकृत प्राप्त हुई है। वर्तमान में आठ मेडिकल ऑफिसर जनपदों में कार्यरत हैं, जिनका मानदेय रु0-60000/- प्रति माह की दर से आहरित किया जायेगा तथा शेष रिक्त पदों के लिए दिशा-निर्देश नियुक्ति के बाद पृथक से जारी किये जायेंगे।
 - **NEW FMR Cod (8.1.1.2)** वर्ष 2018-19 की आर0ओ0पी0 में 754 स्टाफ नर्स की स्वीकृत प्राप्त हुई है। वर्तमान में कुल 197 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं तथा जिन दरों पर मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत था, उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है तथा 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानदेय में सम्मिलित की जा चुकी है तथा नवीन तैनात स्टाफ नर्सों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर0ओ0पी0 2018-19 के अनुसार मानदेय देय होगा।
 - **NEW FMR Cod (8.1.1.2)** सपोर्ट स्टाफ:- वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्वीकृत दरों के अनुसार मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत था, उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है तथा 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानदेय में सम्मिलित की जा चुकी है। रिक्त पदों के लिए दिशा-निर्देश नियुक्ति के बाद पृथक से जारी किये जायेंगे।
9. **New FMR Code 16.1-(Operational Cost):-** इस मद से टेलीफोन/मोबाईल, इण्टरनेट/डोंगल, वीकली एलर्ट/एनुवल डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु, रिव्यू मीटिंग, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी एवं **PICU** के प्रशासनिक व ऑपरेशनल व्यय में प्रयोग किया जा सकता है।
10. **ASHA Incentivization for sensitizing community (एफ0एम0आर0 कोड संख्या—F.1.3.m) (3.1.1.4.4)—**

ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों के सन्दर्भन हेतु प्रत्येक आशा को रु0 300/-प्रति ए0ई0एस0 रोगी की दर से प्रोत्साहन धनराशि भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। यदि आशा द्वारा सन्दर्भित कोई रोगी चिकित्सालय में चिकित्सक द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगी पंजीकृत एवं उपचारित किया जाता है तो सम्बन्धित आशा के खाते में यह प्रोत्साहन धनराशि समय से हस्तान्तरित की जाये। आशा को प्रोत्साहन धनराशि भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये। ए0ई0एस0 रोगियों के सन्दर्भन हेतु आशा को प्रेरित किया जाये। जनपद में ए0ई0एस0 रोगियों के केस लोड के अनुसार जनपदों को आशा प्रोत्साहन धनराशि भुगतान हेतु धनराशि आवंटित की गई है।
11. **Technical Malathion:- (6.2.1.2.1.4)** आर0ओ0पी0 वर्ष 2018-19 में कुल 80.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कमिटेड धनराशि रु0 17.00 को जोड़ते हुये इस मद में जनपदों को कुल रु0 97.00 लाख स्वीकृत हुये हैं। जिसका आवंटन जनपदवार सूची संलग्न है तथा दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं।

नोट:-उपरोक्त समस्त मदों में व्यय भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार के अनुरूप किया जायेगा।

Ashutosh